85 वर्ष से अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम
90 वर्ष से अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम
95 वर्ष से अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम
100 वर्ष या अधिक

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-2977/दो-4-10-45(12)/91,टी.सी.VI
लखनऊ दिनांक 04 नवम्बर, 2010

कार्यालय-ज्ञाप

न्यायिक अधिकारियों को सेवा वैधानिक मामों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों से सम्बद्ध रिट पिटीशन संख्या-1022/1989 से सम्बद्ध आई.ए. संख्या-244/09 में माo उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.4.2009 द्वारा गठित जस्टिस ई. पद्मनाभन की संस्तुतियों को माo उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.7.2010 एवं दिनांक 29.7.2010 तथा दिनांक 2.8.2010 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2- जस्टिस ई. पद्मनाभन समिति की रिपोर्ट दिनांक 17.7.2009 में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को निम्नलिखित रूप में यथावत स्वीकार करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(क) ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 1.1.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हों।

1- दिनांक 1.1.2006 से पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों पर पद्मनाभन समिति द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्थाएं प्रदान की जाती हैं:-

(ए) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी की पुनरीक्षित पेंशन समय-समय पर पुनरीक्षित वेतनमानों में उसके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(बी) अधिकतम पेंशन की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

(सी) सेवारत न्यायिक अधिकारियों की भांति पेंशन भोगियों को Benefit of full neutralization of the cost of living अनुमन्य होगा।

(डी) दिनांक 1.1.2006 से पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों के द्वारा घरेलू सेवक का सेवायोजन किये जाने के प्रमाण पत्र के प्रस्तुतिकरण पर रूपया 2,500/-प्रति माह की दर से घरेलू नौकर भत्ता प्रदत्त होगा। इसके अतिरिक्त पारिवारिक पेंशनरों को भी रू0 1000/- प्रति माह की दर से घरेलू नौकर भत्ता प्रदान किया जायेगा। उक्त बढ़ी हुई दर तात्कालिक प्रभाव से देय होगी।

-2-

Scanned with CamScanner

(10) वित्त (सामान्य) अनुभाग–1,2,3 (वित्त व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5/वित्त (वेतन आयोग) 1/2।
(11) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(12) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
(13) इरला चेक अनुभाग/इरला चके (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ0 प्र0 सचिवालय।
(14) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय तथा आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
(15) समस्त जनपद न्यायाधीश/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(16) श्री श्रीश कुमार मिश्रा, एडवोकेट आन रिकार्ड, 236 न्यू लायर्स चैम्बर, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
(17) विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, मा0 उच्चतम न्यायालय (विधि कोष्ठक), 21 राउज एवेन्यू उर्दू घर मार्ग, नई दिल्ली।
(18) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सुनील कुमार)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner

(8) चिकित्सा भत्ता

सेवानिवृत्त पेंशनरों को रू0 1500/– प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पारिवारिक पेंशनरों को भी रू0 750/– प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता देय होगा। उक्त सुविधा तात्कालिक प्रभाव से देय होगी। साथ ही चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश सं0–1209 / पाँच–6–2004–294 / 96टी.सी. दिनांक– 9.8.2004 की शर्तें यथावत रहेंगी।

3– इस शासनादेश में वर्णित घरेलू नौकर भत्ता, चिकित्सा भत्ता तत्कालिक प्रभाव से देय होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सभी भत्ते दिनांक 1.1.2006 से प्रदान किये जायेंगे तथा इनका एरियर भुगतान मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.7.2010 के अनुपालन में 60 प्रतिशत एरियर का भुगतान तीन माह के भीतर एवं शेष 40 प्रतिशत एरियर का भुगतान अगले 09 माह के भीतर दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2010 के अनुपालन में एरियर सहित उक्त समस्त भुगतान दिनांक 31.3.2011 तक कर दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के अशासकीय संख्याः–सा0 –3–1100/दस–2010 दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

4/11/2010

(कुँवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।

संख्या–2977 / दो–4–10–45(12) / 91.टी.सी.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु षितः–

) श्री राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद उ0 प्र0।
) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग।
निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ।
निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन उ0 प्र0 लखनऊ।
निदेशक वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरानगर, लखनऊ।
सूचना निदेशक, उ0 प्र0 लखनऊ।
समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ0 प्र0।
समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

–5–

Scanned with CamScanner

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन की धनराशि
80 वर्ष से अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	पेंशन/पारिवारिक पेंशन पेंशन की धनराशि का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	पेंशन/पारिवारिक पेंशन पेंशन की धनराशि का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	पेंशन/पारिवारिक पेंशन पेंशन की धनराशि का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन पेंशन की धनराशि का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

Scanned with CamScanner